रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31—अप्रैल 6, 2012 (चैत्र 11, 1934)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31—APRIL 6, 2012 (CHAITRA 11, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

विदेश मंत्रालय

नालंदा विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 2012

सं. शासी बोर्ड, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासी नालंदा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम नालंदा विश्वविद्यालय परिनियम, 2012 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—(1) इन परिनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" से धारा 22 के अधीन यथा उपबंधित विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;

(ग) "बजट" से किसी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी, राजस्व, विशेष या प्रकीर्ण अथवा ऐसे अन्य शीर्ष जो शासी बोर्ड या प्राधिकारी या उसकी किसी समिति द्वारा अवधारित किया जाए भी सम्मिलित हैं के लिए प्रक्षेपण अभिप्रेत है;

(घ) "समिति" से विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों द्वारा समय-समय पर गठित की गई कोई समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "मुख्यालय करार" से ऐसा करार अभिप्रेत है जो कि अधिनियम की धारा 21 के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित और निष्पादित किया जाए;

(च) "अधिकारी" से अधिनियम की धारा 13 में यथा उपबंधित विश्वविद्यालय के अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(2) इसमें प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अभिप्राय होगा जो उनका अधिनियम में नियत किया गया है।

3. शासी बोर्ड की शक्तियां और कृत्य :

(1) शासी बोर्ड—

(क) विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में नीतियां बनाने, निर्देश देने और उनके प्रबंध के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी होगा;

(ख) अधिनियम या परिनियमों के अधीन यथा विहित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय प्रबंध और अन्य विषयों का निरीक्षण करेगा;

(ग) कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति के लिए कुलाध्यक्ष को सिफारिश करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रथम वित्त अधिकारी और प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति जिसमें उनके वेतन और उपलब्धियां सम्मिलित हैं, की निबंधनों का विनिश्चय करेगा;

(ङ) शैक्षणिक परिषद, विद्याशाखा बोर्डों, वित्त समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारियों के जो परिनियमों द्वारा घोषित किए जाएं, उचित कार्यकरण का निरीक्षण करेगा;

(च) वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार करके बजट, योजनाओं, कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय से संबंधित ऐसे अन्य क्रियाकलापों का, जो वह उपयुक्त समझे, अनुमोदन करेगा;

(छ) विश्वविद्यालय की ओर से मुख्यालय करार पर हस्ताक्षर करने और उसको निष्पादित करने के लिए अध्यक्ष या विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करने का प्राधिकार रखेगा;

(ज) ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और ऐसी शक्तियों और कृत्यों के साथ से जो वह समय-समय पर विनिश्चित करे, समितियां गठित करने की शक्ति रखेगा;

(झ) अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के अनुसार कुलपति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियों या अधिकारियों को ऐसी शक्तियों और कृत्यों जो वह उचित समझे, प्राधिकृत और प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार रखेगा;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करेगा और मुद्रा की अभिरक्षा और उसके प्रयोग की व्यवस्था करेगा;

(ट) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारीवृंद और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों के विशेषज्ञ सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा;

(ठ) प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करेगा;

परन्तु शासी बोर्ड द्वारा आमंत्रित उच्च शैक्षणिक विशिष्टता, उत्कृष्टता और वृत्तिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को प्राध्यापक नियुक्त करने के लिए पद स्वीकार करने के लिए किसी चयन समिति का गठन करना आवश्यक नहीं होगा।

(ड) विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृंद के वेतन और सेवाशर्तों को नियत और परिवर्तित करेगा;

(ढ) प्रशासनिक और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करेगा, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियों का निर्धारण करेगा और उन पदों पर सेवा की ऐसी निबंधन और शर्तों पर जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं, व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा;

(ण) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के रूप में पदाभिहित करेगा;

(त) पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलन पत्र, और वित्तीय प्राक्कलनों के साथ ही पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कामकाज की एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और शासी बोर्ड उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करते समय वित्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखेगा;

(थ) प्राधिकारियों और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट और आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से विश्वविद्यालय की प्रगति को मानीटर करेगा और परिनियमों के अनुसार प्राधिकारियों और अधिकारियों को निदेश, देने की शक्ति रखेगा;

(द) विश्वविद्यालय के अधिकारियों को विश्वविद्यालय के ऐसे कृत्य जो वह उपयुक्त समझे, करने के लिए प्राधिकृत करेगा;

(ध) कुलपति की सिफारिश पर ऐसी निबंधन और शर्तों पर और ऐसी शक्तियों और कृत्यों के साथ जो वह समय-समय पर विनिश्चित करे, समितियों का गठन करेगा;

(न) कुलाध्यक्ष के किन्हीं निदेशों के प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को सभी आवश्यक कार्यवाईयाँ करने के लिए जिसमें रिपोर्ट और ऐसी अन्य सूचना जिसकी वह इस बाबत अपेक्षा करे, प्रदान करना भी सम्मिलित है, अनुदेश देने का प्राधिकार रखेगा;

(प) उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं के साथ ऐसे सहयोगी संबंध जो वह उपयुक्त समझे बनाने पर विचार करेगा;

(फ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदान किए जाएं।

(2) शासी बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति शासी बोर्ड के कुल सदस्यों का आधा होगी। शासी बोर्ड के सभी विनिश्चय वैध बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे। मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(3) अध्यक्ष शासी बोर्ड की प्रत्येक बैठक के प्रारूप कार्यवृत्त सम्यक रूप से आयोजित बैठक के सम्पन्न होने के बाद तीस दिनों के भीतर शासी बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित करेगा। शासी बोर्ड के सदस्य प्रारूप कार्यवृत्त के परिचालन के बाद 15 दिनों के भीतर अपने टीका-टिप्पणी या अनुरोध अध्यक्ष को प्रदान कर सकते हैं। अध्यक्ष टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् कार्यवृत्त को अंतिम रूप देगा और उन्हें शासी बोर्ड के सदस्यों को परिचालित करेगा। उसके पश्चात् कार्यवृत्त पर कार्रवाई की जाएगी।

4. विद्याशाखाएं : (1) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपबंधित विद्याशाखाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालय एक अतिरिक्त विद्याशाखा अर्थात् "सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी" रखेगा।

(2) प्रत्येक विद्याशाखा का उसके प्रमुख के रूप में एक डीन होगा।

(3) प्रत्येक विद्याशाखा को ऐसे अध्ययन विभागों से मिलाकर बनाया जा सकेगा जो अध्यादेशों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

5. अन्य प्राधिकारी : (1) अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अतिरिक्त निम्नलिखित, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :

(क) योजना बोर्ड; और

(ख) स्थायी समिति

(2) योजना बोर्ड और स्थायी समिति के संरचना, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं।

6. अंतरराष्ट्रीय सलाहकार पेनल : (1) नालंदा विश्वविद्यालय की व्यापक दृष्टि और उद्देश्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने और उसकी वृहत्तर वैश्विक जागरूकता सृजित करने के लिए अग्रगण्य व्यक्तियों का एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकारी पैनल गठित किया जाएगा जो शासी बोर्ड की सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और ज्ञान के अग्रतत्वों को ग्रहण करने के कार्य और उभरती चुनौतियों के लिए संगत संस्थाओं और संगठनों से सम्पर्क करने में भी सहायता करेगा।

(2) पेनल ऐसी अन्य कार्य और कृत्य कर सकेगा जो शासी बोर्ड अवधारित करे।

(3) पेनल का अध्यक्ष शासी बोर्ड की समस्त बातचीत के लिए एक स्थायी आमंत्रिती होगा।

(4) पेनल की संरचना और उसके सदस्यों की नियुक्ति की रीति परिनियमों में अधिकथित किए गए रूप में होगी।

7. शैक्षणिक परिषद की शक्तियाँ : (1) शैक्षणिक परिषद की अधिनियम द्वारा उसे निहित की गई शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :

(क) शासी बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी विषय पर रिपोर्ट देना;

(ख) शासी बोर्ड को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करना :—

(i) विश्वविद्यालय के शिक्षण पदों का सृजन और उनकी समाप्ति;

(ii) विद्याशाखाओं के संगठन के लिए योजनाएं बनाना और उनका पुनरीक्षण करना और ऐसी विद्याशाखाओं को उनके संबंधित विषयों को सौंपना;

(iii) विश्वविद्यालय में अनुसंधान की अभिवृद्धि और ऐसे अनुसंधानों पर रिपोर्टें मँगवाना;

(iv) विद्याशाखाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार करना;

(v) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति करना;

(vi) परीक्षाओं के आयोजन के लिए इंतजाम करना;

(vii) वृत्तिकाएँ, छात्रवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने के लिए सिफारिशें करना;

(viii) शैक्षणिक विषयों के संबंध में कार्य करना, अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के उपबंधों के उचित क्रियान्वयन के लिए यथा आवश्यक सभी कर्तव्यों और सभी कार्यों का निर्वाह करना।

8. विद्याशाखा बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य : (1) विद्याशाखा बोर्ड में शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेंगे।

(2) विद्याशाखा बोर्ड

(क) विद्याशाखा के विषयों में जिसमें पाठ्यक्रम और परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं, शिक्षा, शिक्षण, विद्याध्ययन और अनुसंधान के आयोजन से संबंधित सभी विषयों पर शैक्षणिक परिषद को सलाह देगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(ख) ऐसे किन्हीं विषयों पर विचार करेगा और जहां आवश्यक हो उन पर कार्रवाई करेगा जो शैक्षणिक परिषद या शासी बोर्ड द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किए जाएं;

(ग) विद्याशाखा को शैक्षणिक रणनीति पर शैक्षणिक परिषद को सलाह देगा और सिफारिश करेगा।

(3) प्रत्येक विद्याशाखा बोर्ड ऐसी उप समितियां गठित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

9. वित्त समिति :—(1) विश्वविद्यालय की वित्त समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) कुलपति

(ii) वित्त मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती

(iii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं

(iv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट चक्रानुक्रम में शिक्षाशास्त्र का एक डीन

(v) वित्त अधिकारी

(2) कुलपति वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(3) वित्त अधिकारी वित्त समिति का सचिव होगा।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। कुलपति और वित्त अधिकारी पदेन सदस्य होंगे।

(5) वित्त समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी।

IndiaCode

10. वित्त समिति की शक्तियाँ : वित्त समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय के बजट और लेखाओं पर विचार करना और उनकी परीक्षा करना और शासी बोर्ड के अनुमोदन के लिए समुचित सिफारिशें करना;

(ख) वित्त अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए और कुलपति द्वारा अनुमोदित किए गए रूप में विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और उनके संबंध में शासी बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रदान करने के लिए यथा वांछित विश्वविद्यालय के अधिकारियों से स्पष्टीकरण, सूचना मांगना;

(ग) वित्तीय विनियमों के निबंधनों के अनुसार प्रस्तावों, करारों और व्यय संविदा की संवीक्षा, परीक्षा और अनुमोदन करना;

(घ) पचीस लाख रुपये से अधिक के ऐसे व्यय को जिसका उपबंध बजट में नहीं किया गया है, मंजूर करना; और

(ङ) पदों के सृजन के प्रस्तावों को शासी बोर्ड को भेजे जाने से पहले उन पर विचार करना।

11. कुलाधिपति : (1) कुलाधिपति की नियुक्ति शासी बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों से अनधिक के नामों की सूची से विजिटर द्वारा की जाएगी और यदि विजिटर सिफारिश किए गए व्यक्तियों का अनुमोदन नहीं करता तो वह एक नवीन नामसूची आमंत्रित कर सकता है।

(2) कुलाधिपति एक ख्यातिप्राप्त और अंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्धि वाला व्यक्ति होगा।

(3) कुलाधिपति अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कार्यावधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु उक्त तीन वर्ष की कार्यावधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बना रहेगा।

(4) कुलाधिपति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(5) कुलाधिपति कुलाध्यक्ष को लिखित में संबोधित छह माह का नोटिस देकर अपने पद का त्याग कर सकता है और पद त्याग के नोटिस की एक प्रति साथ ही शासी बोर्ड को भी तामील की जाएगी।

12. कुलपति : (1) कुलपति की नियुक्ति शासी बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम सूची से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी और यदि कुलाध्यक्ष सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता तो वह नवीन सिफारिशें आमंत्रित कर सकता है।

(2) कुलपति अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा/करेगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परन्तु पांच वर्ष का उक्त कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी कुलपति अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक और उसके कार्यभार संभालने तक पद पर बना रहेगा।

परन्तु यह और कि शासी बोर्ड कुलपति को उसकी कार्यावधि समाप्त हो जाने पर उस जो एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि जो विनिर्दिष्ट की जाए अथवा अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक तथा उसके कार्यभार संभालने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहने के लिए निर्देश दे सकता है।

(3) कुलपति कुलाध्यक्ष को लिखित में संबोधित छह माह का नोटिस देकर पद का त्याग कर सकता है और पद त्याग के नोटिस की एक प्रति साथ ही शासी बोर्ड को भी तामील की जाएगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होगा।

(5) कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी।

13. कुलपति की शक्तियाँ; कुलपति—

(क) अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक सभी शक्तियाँ रहेंगी;

(ख) विश्वविद्यालय के निर्बाध कार्यकरण को सुनिश्चित करेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और अन्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार होगा;

(ग) ऐसी निबंधनों और शर्तों पर और ऐसी शक्तियों और कृत्यों के साथ जो वह उचित समझे समितियाँ गठित करने की शक्ति रखेगा और ऐसी समितियों के, जो गठित की जाएं, निर्देश के निबंधनों की अधिसूचना सूचनार्थ शासी बोर्ड की पश्चातवर्ती बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी;

(घ) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी बैठक में उपस्थित रहने और इसे संबोधित करने के लिए हकदार होगा किन्तु ऐसे प्राधिकारी या समिति का सदस्य होने पर ही मत देने के लिए हकदार होगा अन्यथा नहीं;

(ङ) विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह या शासी बोर्ड की बैठकों के अवसर पर यदि कुलाधिपति उपस्थित नहीं रहता तो उनकी अध्यक्षता करेगा;

(च) शासी बोर्ड के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के विकास, कार्यसंचालन और प्रबंधन के लिए यथा आवश्यक विश्वविद्यालय को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु कर्मचारियों, परामर्शदाताओं, रिटेनरों की नियुक्ति करने, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के अनुरूप किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन उनका ऐसा पारिश्रमिक नियत करने की शक्ति रखेगा जो समय-समय पर लागू हो;

(छ) शासी बोर्ड के अनुमोदन से शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों का सृजन करने और ऐसे पदों पर किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन एक वर्ष से तीन वर्ष की भिन्न-भिन्न ऐसी अवधियों के लिए जो समय-समय पर लागू हो, संविदा आधार पर (जिसमें तदर्थ और अस्थायी आधार पर सम्मिलित है) नियुक्ति करने की शक्ति रखेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षा कृत्यों के प्रबंधन और निरीक्षण के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करने की शक्ति रखेगा;

(झ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जाए, जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को दी जाएगी और दूसरी प्रति संबंधित कर्मचारी को प्रदान की जाएगी;

(ञ) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो समय-समय पर अध्यादेश में अधिकथित की जाएं, स्टॉफ सदस्यों को प्रशिक्षण या अनुदेश पाठ्यक्रम के लिए भेजने की शक्ति रखेगा;

(ट) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा; विश्वविद्यालय में अनुशासन के उचित रूप से बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियां रखेगा;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी तृतीय पक्षकार के साथ की गई संविदाओं या करारों पर हस्ताक्षर करने, उनका उपान्तरण करने या उन्हें रद्द करने की शक्ति रखेगा और विश्वविद्यालय के लिए और उसकी ओर से की गई सभी संविदाएं, सिवाय उनके जो विश्वविद्यालय और कुलपति के बीच की गई हों, लिखित में होंगी और प्रत्येक ऐसी संविदा कुलपति द्वारा या शासी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से निष्पादित किए जाएंगे;

(ड) स्मारिकाओं, जर्नलों और पत्रिकाओं आदि में विज्ञापन सहित विज्ञापनों को मंजूर करने का प्राधिकार रखेगा;

(ढ) किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अधिकारी, रियायत, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए ऐसी सरकार या प्राधिकारी के साथ करार करने का प्राधिकार रखेगा;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध किसी विधिक या अन्य कार्यवाही, दावा और विवाद संस्थित, संचालित, प्रतिरक्षा, समझौता, माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करने या परित्याग करने और इस संबंध में उपस्थित होने या किसी सालिसिटर, अधिवक्ता और काउंसेल को उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करने और उनके पारिश्रमिक का भुगतान करने या विश्वविद्यालय के किन्हीं अधिकारियों को किसी विधिक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, आवश्यक शपथपत्र, याचिकाएं, उत्तर दाखिल करने और कोई कार्य, कृत्य या कर्म करने जो आवश्यकता हो अथवा किसी विधिक वाद या कार्यवाही को संस्थित या प्रतिरक्षा किए जाने की प्रभावी करने के लिए कोई कार्य, कृत्य या कर्म करने के लिए प्राधिकृत करने का प्राधिकार रखेगा;

(त) ऐसी अन्य शक्तियां रखेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं;

(थ) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किए गए बजट उपबंधों के अध्यधीन ऐसे वित्तीय विनियमों के अनुसार जो समय-समय पर अधिकथित किए जाएं राजस्व व्यय उपगत करने का पूर्ण अधिकार रखेगा;

(द) विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में विश्वविद्यालय के नाम से और उसकी ओर से संविदाओं और किसी पूंजी व्यय की वार्ता और मंजूरी और ऐसे संविदाओं पर पुनर्वार्ता करने और सभी ऐसे कार्य, कृत्य और कर्म करने का प्राधिकार रखेगा;

(ध) विभिन्न मदों के संबंध में जिनमें 10000000/- रु. (एक करोड़ रुपए) की सीमा तक आवर्ती बजट का गठन करने वाले निधियों का वित्त अधिकारी की सिफारिश पर पुनर्विनियोजन करने की शक्ति रखेगा परन्तु ऐसे पुनर्विनियोजन में भविष्य में कोई दायित्व अंतर्ग्रस्त नहीं होगा और प्रत्येक ऐसे पुनर्विनियोजन की सूचना यथाशीघ्र वित्त समिति को दी जाएगी;

(न) समय-समय पर परिनियमों, विनियमों और अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किए गए के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से वस्तु या नगदराशि के रूप में दान स्वीकार करने के लिए हकदार होगा;

(प) शासी बोर्ड और शैक्षणिक परिषद की बैठकें आयोजित करने की शक्ति रखेगा; और

(फ) विश्वविद्यालय के उचित कार्यकरण को बढ़ावा देने के लिए शासी बोर्ड द्वारा उसे प्रदान की जा सकने वाली ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

IndiaCode

14. शैक्षणिक स्टॉफ: कुलपति, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालय में अनुदेश देने के लिए या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर मान्यता प्रदान की जाए, शैक्षणिक स्टॉफ के सदस्य होंगे।

15. कुलसचिव: (1) कुलसचिवों की संख्या विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड द्वारा अवधारित किए गए के अनुसार होगी।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(3) कुलसचिव

(क) अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सम्पत्ति जिसे शासी बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा उसे प्रभार में दिया जाए का अभिरक्षक होगा;

(ख) स्थायी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा;

(ग) शासी बोर्ड को अनुसचिवीय कृत्य प्रदान करेगा और विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकारियों या उसके प्राधिकारीवृंद द्वारा नियुक्त समितियों या दोनों के लिए ऐसे अन्य कर्तव्य और कृत्यों को करेगा जो समय-समय पर विहित किए जाएं जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के आयोजन के लिए नोटिस जारी किया जाना भी सम्मिलित है;

(घ) विश्वविद्यालय के सभी शासकीय पत्रव्यवहार करेगा।

16. वित्त अधिकारी: (1) वित्त अधिकारी निम्नलिखित की शक्ति रखेगा, यह :—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य संचालन करना और उसे उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देना;

(ख) ऐसे अन्य वृत्तीय कर्तव्यों को निष्पन्न करना जैसे वित्त समिति, कुलपति या शासी मण्डल द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) वित्त समिति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी

(क) देखेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा सामान्य तौर पर न लांघी जाए और कि धन को उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय किया जाए जिनके लिए उसे प्रदान या आबंटित किया गया है;

(ख) वार्षिक लेखों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी लेखांकन मानकों एवं सभी अनुप्रयोज्य और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए भुगतान या प्राप्तियों से संबंधित सभी अनुरोध वित्तीय विनियमों या उसके अधीन किए गए किसी प्रशासनिक प्रत्यायोजन में यथा निर्धारित विनिर्धारित वित्तीय मानकों और अनुमोदन सीमाओं के अनुसार है;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उपाप्त किए गए सभी मदों को सम्यक रूप से स्टाक रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है और इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र बिलों या वाउचरों पर अभिलिखित किया गया है;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि पूँजी अर्जन और प्रदाओं या क्रय के संबंध में सभी अभिलेखन उचित ढंग से अनुरक्षित किए गए हैं;

(च) सभी बिलों या वाउचरों का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(छ) अगले वित्तीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का बजट तैयार करने और उसमें कुलपति और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ज) विश्वविद्यालय की निधियों को सुरक्षित करने के लिए नगद बीमा कराने का प्राधिकार रखेगा;

(झ) नगद और बैंक अतिशेष, सभी वित्तीय संव्यवहारों और विनिधानों की स्थिति को मॉनीटर करेगा;

(ञ) राजस्व संग्रह को मॉनीटर करेगा और नियोजित संग्रह की पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा;

(ट) विश्वविद्यालय के लेखों का अधिनियम के निबंधनों के अनुसार नियमित रूप से लेखापरीक्षा कराएगा;

(ठ) अप्राधिकृत व्यय के बारे में मानीटरी और जांच करेगा और चूक करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों का सुझाव देगा;

(ड) विश्वविद्यालय के आकार के अनुरूप और आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना और उसका अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा;

IndiaCode

(ङ) अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक लेखों की एक प्रति परिचालित करेगा;

(च) ऐसी सभी सूचनाओं के अभिलेखों को अद्यतन रखेगा जिससे वह अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक समझता है और प्रत्येक मास के अंत में यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक प्रभारों और कमीशनों सहित सभी वित्तीय संव्यवहार, बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुरूप हैं या उनसे मेल खाते हैं।

17. सदस्य राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता : (1) सदस्य राष्ट्रों द्वारा विश्वविद्यालय के लिए किए गए सभी वित्तीय अभिदायों को या तो विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक रूप से भेजे जाएंगे या "नालंदा विश्वविद्यालय" के नाम से चेक या बैंक ड्राफ्ट के प्ररूप में भेजे जाएंगे और उसकी सूचना विश्वविद्यालय के कुलपति को दी जाएगी;

(2) वित्त अधिकारी, सदस्य राज्यों द्वारा किए गए वित्तीय अभिदायों के अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुलसचिव उक्त वित्तीय वर्ष में प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा किए गए कुल वित्तीय अभिदायों का परिगणना करेगा और ऐसे अभिलेखों को शासी बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा और विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

18. सदस्य राज्यों द्वारा शासी बोर्ड में नामनिर्देशन की प्रक्रिया : (1) शासी बोर्ड के पश्चातवर्ती गठन के समय सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व सदस्य राज्यों से किए गए वित्तीय अभिदायों के अनुसार अवधारित किया जाएगा और प्रथम अंतिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान शीर्ष पाँच अभिदाय करने वाले सदस्य राज्य, प्रत्येक शासी बोर्ड में एक सदस्य नामांकित करेंगे।

(2) तत्पश्चात, तीन वर्षों की अगली अवधि के दौरान विश्वविद्यालय को सर्वोच्च वित्तीय अभिदाय प्रदान करने वाले पाँच सदस्य राज्य अगले शासी बोर्ड में से प्रत्येक में एक सदस्य नामांकित करेंगे।

(3) एक सदस्य राज्य द्वारा किए गए कुल वित्तीय अभिदाय की परिगणना करने के प्रयोजन को लिए केवल परिनियमों के अनुसार किए गए मौद्रिक वित्तीय अभिदायों को ध्यान में रखा जाएगा।

19. विश्वविद्यालय को उपहार : (1) कुलपति निधि जुटाने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा और विश्वविद्यालय को उपहार के संबंध में प्रशासनिक नीतियों और प्रक्रियाओं पुनर्विलोकन करेगा और उनका निर्धारण करेगा।

(2) विश्वविद्यालय संसाधनों की सुरक्षा के लिए उपहारों के लिए अनुरोध, स्वीकृति और प्रबंधन को प्रोन्नत करेगा जिससे विश्वविद्यालय शिक्षण, विद्याध्ययन और अनुसंधान में अपनी प्राथमिकताओं और उत्कृष्टता की वचनबद्धता को और उन्नत बनाने में सक्षम होगा।

(3) विश्वविद्यालय ऐसे उपहार को स्वीकार नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय को दूसरे दानदाताओं से उपहार स्वीकार करने से प्रतिबाधित करे और विश्वविद्यालय ऐसे उपहारों को स्वीकार नहीं करेगा जो किसी अनुप्रयोज्य विधि या विनियम का उल्लंघन करे और किसी उपहार को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

(4) विश्वविद्याल को उपहार देने का कार्य प्रतिसंगृहणीय होगा जबकि उपहार और उपहार का प्रयोजन, विश्वविद्यालय की प्रचलित नीतियों और प्रक्रियाओं के अध्यधीन होगा।

(5) दानदाता द्वारा प्रदान किए गए उपहार को मान्यता देने में विश्वविद्यालय, दानदाता को विश्वविद्यालय के भीतर नामकरण का अवसर प्रदान कर सकेगा और कुलपति, समय-समय पर प्रस्थापित किए जा सकने वाले नामकरण अवसरों के लिए न्यूनतम उपहार स्तर निर्धारित कर सकेगा।

(6) यदि कोई दानदाता जिसे विश्वविद्यालय द्वारा एक नामकरण अवसर का प्रस्ताव किया गया है अप्रतिष्ठित हो जाता है, तो विश्वविद्यालय सुसंगत नाम के उपयोग को रोकने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

(7) सभी उपहार नाम संबंधी अवसरों को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और किसी विद्याशाखा, विभाग, संकाय, पीठ या किसी अवसंरचना का उपहार संबंधी नामकरण की दशा में ऐसे नामकरण का अनुमोदन कुलपति की सिफारिश पर शासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(8) सभी उपहारों का उपयोग उपहार प्रयोजन के अनुसार किया जाएगा और दानदाता और उसके उपहार से संबंधित सभी सूचना को सम्मान दिया जाएगा और इस संबंध में विधि में उपलब्ध पूर्णतम सीमा तक गोपनीयता बरती जाएगी।

(9) विश्वविद्यालय ऐसे मापदण्डों के अनुसार जैसे परिनियमों में नियत किया जाए, दानदाताओं और उनके उपहारों को समुचित ढंग से पहचान और मान्यता प्रदान करेगा।

(10) कुलपति को शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार उपहारों का निवेश करने का अनन्य अधिकार होगा।

(11) विश्वविद्यालय सुसंगत निधि में उपहार या उपहार प्रयोजन के प्रशासन में उपगत सभी युक्तियुक्त लागतों और व्ययों को प्रभारित कर सकेगा।

(12) कुलपति, दानदाता के परामर्श से, ऐसे उपहार प्रयोजन में परिवर्तन करने की शक्ति रखेगा जो पूर्णत: या अंशत: सुसंगत उपहार के प्रयोग के उपयुक्त या प्रभावी तरीके से व्यवस्था नहीं कर रहा है और विश्वविद्यालय, उपहार का उपयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए करने का प्रयत्न करेगा जो मूल उपहार प्रयोजन के यथासंभव लगभग निकट है।

20 विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की संरक्षा: विश्वविद्यालय के किसी मामले के संबंध में तत्समय कार्यरत विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी, उनके निर्वाहक और प्रबंधक, अपने संबंधित पदों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उसके बारे में किए गए या निष्पादित किए गए किसी कार्य के कारण अपने द्वारा उपगत या धारण किए गए या किए जा सकने वाले सभी वादों, कार्यवाहियों, लागतों, भारों, हानियों, नुकसानों और व्ययों के लिए या उसके विरुद्ध, उनके सिवाय जो उनकी उपेक्षा या चूक से हुआ हो, विश्वविद्यालय की आस्तियों और निधियों से क्षतिपूर्ति की जाएगी और ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी के कोई ऐसे सदस्य प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी के कार्यों, लोपों, उपेक्षाओं या व्यतिक्रमों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

21 नोटिस: जब तक अधिनियम, परिनियमों, या विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, जब कभी किसी परिनियम या विनियमों के अधीन किसी सूचना को दिया जाना अपेक्षित हो, उसको लिखित में और वैयक्तिक रूप से दिया जा सकेगा या पूर्वदत्त डाक, वाणिज्यिक संदेश सुपुर्दगी सेवा, इलैक्ट्रोनिक डाक या इलैक्ट्रोनिक फेसीमाइल परिषद के द्वारा वांछित प्राप्तकर्ता को उसके पते, इलैक्ट्रोनिक डाक पते या इलैक्ट्रोनिक फेसीमाइल संख्या पर, जैसा विश्वविद्यालय के अभिलेखों में प्रदर्शित किया गया हो, भेजा जाएगा, और यदि पूर्वदत्त डाक से भारत स्थित किसी पते पर या भारत से बाहर स्थित किसी पते पर उसको भेजा जाता है तो ऐसे नोटिस को उस तारीख के अगले दिन तामील किया गया समझा जाएगा जिसकी सूचना पूर्वदत्त डाक टिकट लगाकर उसे भारतीय डाक में जमा की गई और यदि नोटिस किसी वाणिज्यिक संदेश सुपुर्दगी सेवा के द्वारा भेजा जाता है तो ऐसे नोटिस को उस दिन दिया गया समझा जाएगा जिस दिन उसको इस प्रकार भेजा गया है और इलैक्ट्रोनिक रूप से दिए गए नोटिस को वांछित प्राप्तकर्ता के इलैक्ट्रोनिक डाक पते या फेसीमाइल संख्या को इलैक्ट्रोनिक रूप से पारेषित किए जाने के दिन को ही दिया गया समझा जाएगा, परन्तु पारेषण यंत्र द्वारा कोई पारेषण त्रुटि संदेश उत्पन्न न किया गया हो।

जितेन्द्र नाथ मिश्र
संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NALANDA UNIVERSITY

New Delhi, the 2012

No. S/321/23/2011—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010), the Governing Board makes the following Statutes of the Nalanda University, namely :—

1. (1) Short Title and commencement : These Statutes may be called the Nalanda University Statutes, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—(1) In these statutes, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Nalanda University Act, 2010, (39 of 2010);

(b) "Authorities" means the authorities of the University as provided under section 22;

(c) "Budget" means projections, for a particular financial year, for revenue and expenditure inter-alia including capital, revenue, special or miscellaneous or such other heads as may be determined by the Governing Board or Authority or any Committee thereof;

(d) "Committee" means any committee constituted by the Authorities of Officers of the University from time to time;

(e) "Headquarters Agreement" means the agreement as may be signed and executed between the Central Government and the University in terms of section 21 of the Act;

(f) "Officers" means the officers of the University as provided in section 13 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Powers and functions of the Governing Board.—(1) The Governing Board shall :—

(a) be the highest authority for policy making, providing directions and managing the affairs of the University;

(b) oversee academic, administrative, financial management and other matters of the University as prescribed under the Act or the Statutes;

(c) make recommendation to the Visitor for the appointment of the Chancellor and the Vice-Chancellor;

(d) shall decide the terms of appointment, including the pay and emoluments, of the Vice-Chancellor, the first Finance Officer and the first Registrar of the University;

(e) oversee the proper functioning of the Academic Council, Boards of Schools of Studies, the Finance Committee and such other authorities as may be declared by the Statutes;

(f) after taking into account the recommendations of the Finance Committee, approve the budgets, plans, programmes and such other activities pertaining to the University as it may deem fit;

(g) have the authority to nominate the Chairperson or any of the other Officers of the University to sign and execute the Headquarters Agreement on behalf of the University;

(h) have the power to constitute Committees, on such terms and conditions and with such powers and functions as it may decide from time to time;

(i) have the authority to authorize and delegate such powers and functions to the Authorities, Committees or Officers of the University, on the recommendations of the Vice-Chancellor as it may deem fit, in accordance with the Act, Statutes and Regulations;

(j) select a common seal of the University and provide for the custody and use of the seal;

(k) nominate expert members of the selection committees for appointment of academic staff and officers of the University;

(l) appoint Professors, Associate Professors and Assistant Professors on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose;

Provided that it shall not be necessary to constitute any Selection Committee for making appointment to the post of Professor of a person of high academic distinction, eminence and professional attainment invited by the Governing Board to accept the post;

IndiaCode

(m) fix or alter the salaries and service conditions of employees of the University;

(n) create administrative and other necessary posts, determine the number and emoluments of such posts, and appoint persons to such posts on terms and conditions of service as may be prescribed by the Ordinances;

(o) designate employees of the University as academic staff;

(p) receive a report of the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditure, the balance sheet, as audited, and financial estimates for the previous year and the Governing Board shall take into consideration the recommendations of the Finance Committee while considering the aforementioned report;

(q) monitor the progress of the University through the annual report and the periodic reports submitted by the Authorities and Officers and have powers to give directions to the Authorities and Officers in accordance with the Statutes;

(r) authorize the Officers of the University to perform such functions of the University, as it may deem fit;

(s) constitute Committees on the recommendation of the Vice-Chancellor on such terms and conditions and with such powers and functions as it may decide from time to time;

(t) on receipt of any directions from the Visitor, have the authority to instruct any Officer of the University to take all the necessary actions including providing a report and furnishing such other information as it may require in this regard;

(u) consider forming collaborative relations with other institutions of higher learning as it may deem fit;

(v) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred upon it by the Act or the Statutes.

(2) The quorum for a meeting of the Governing Board shall be one-half of the total members of the Governing Board. All decisions of the Governing Board shall be taken by a majority vote of the members present and voting in a valid meeting. In the event of a tie in votes, the Chairperson shall have a casting vote.

(3) The Chairperson shall circulate draft minutes of every meeting of the Governing Board within 30 days of concluding a duly convened meeting, to all the members of the Governing Board. The members of the Governing Board, within 15 days of circulation of the draft minutes, may provide their observations or submissions to the Chairperson. The Chairperson, after considering the observations, shall finalize the minutes and circulate them to the members of the Governing Board. Thereafter action shall be taken on the minutes.

4. Schools of Studies.—(1) In addition to the Schools of Studies as provided under the provisions of sub-section 2 of section 24 of the Act, the University shall have an additional School of Studies, namely, 'Information Sciences and Technology.'

(2) Each School of Study shall have a Dean as its Head.

(3) Each School of Study may consist of such Departments of studies as may be assigned to it by the Ordinances

5. Other Authorities.—(1) In addition to the authorities specified in section 22 of the Act, the following shall be Authorities of the University, namely :—

(a) The Planning Board; and

(b) The Standing Committee.

(2) The composition, powers and functions of the Planning Board and the Standing Committee shall be such as may be decided by the Governing Board from time to time.

6. International Advisory Panel.—(1) An international Advisory Panel of eminent persons shall be set up to ensure continuity and create greater global awareness of the broader vision and objectives of Nalanda University which shall also assist the Governing Board in furthering Public Private Partnership, interact with institutions and organizations relevant to the work and to the emerging challenges in pursuing the frontiers of knowledge.

(2) The Panel may perform such other roles and functions as the Governing Board may determine.

(3) The Chair of the Panel shall be a permanent invitee to all deliberations of the Governing Board.

(4) The composition of the panel and method of appointment of its members shall be as laid down in the Statutes.

7. Powers of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall, in addition to the powers vested in it by the Act, have the following powers, namely :—

(a) to report on any matter referred to it by the Governing Board;

(b) to make recommendations to the Governing Board with regard to,—

(i) creation of teaching posts in the University and abolition thereof;

(ii) formulation of and revision of schemes for the organization of the Schools, and assigning such Schools their respective subjects;

(iii) promotion of research in the University and calling for report on such research;

(iv) consideration of the proposals submitted by the Schools of Studies;

(v) appointment of the Committees for admission to the University;

(vi) making arrangements for the conduct of examinations;

(vii) awarding Stipends, Scholarships, Medals and Prizes and making recommendations regarding the conferment of degrees, honours, diplomas, marks of honour;

(viii) performance in relation to academic matters, all such duties and doing all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances.

8. Powers and functions of the Boards of School of Studies.—(1) The Boards of School of Studies, shall consist of members nominated by the Governing Board.

(2) The Boards of School of Studies shall,—

(a) advise and report to the Academic Council on all matters relating to the organization of education, teaching, learning and research in the subjects of the School, including curricula and examinations.

(b) consider and where necessary take action on any matters which may be referred to them by the Academic Council or the Governing Board.

(c) advise and recommend to the Academic Council on the academic strategy of the Schools.

(3) Each Board of School of Studies may establish such sub-committees as it may deem necessary.

9. Finance Committee.—(1) The Finance Committee of the University shall consist of the following persons, namely,—

(i) Vice-Chancellor

(ii) a nominee of the Ministry of Finance

(iii) two persons nominated by the Chancellor who are not employees of the University

(iv) one Dean of the Schools of Study by rotation, nominated by the Vice-Chancellor, and

(v) Finance Officer

(2) The Vice-Chancellor shall act as the Chairperson of the Finance Committee.

(3) The Finance Officer shall be the Secretary of the Finance Committee.

(4) All members of the Finance Committee other than ex-officio members shall hold office for a term of three years. The Vice-Chancellor and the Finance Officer shall be the ex-officio members.

(5) The quorum for a meeting of the Finance Committee shall be four.

10. Powers of the Finance Commitee.—The Finance Committee shall have the following powers, namely,—

(a) to consider and examine the budget and accounts of the University and make appropriate recommendations for the approval of the Governing Board,

(b) to review, seek clarification, information from the Officers of the University as may be required to provide its recommendation to the Governing Board in relation to the annual accounts and the financial statements of the University as prepared by the Finance Officer and approved by the Vice-Chancellor,

(c) to scrutinize, examine and approve the proposals, agreements, and contracts for expenditure in terms of the Financial Regulations,

(d) to sanction expenditure above Rupees twenty-five lakh which has not been provided in the budget, and

IndiaCode

(e) to consider the proposals for creation of posts before the same are sent to the Governing Board.

11. Chancellor.— (1) The Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of names of not less than three persons recommended by the Governing Board and if the Visitor does not approve the recommended persons, he may invite a fresh panel.

(2) The Chancellor shall be a person of repute and international eminence.

(3) The Chancellor shall hold office for a term of three years from the date of appointment :

Provided that, notwithstanding the expiry of the said three years, the Chancellor shall continue in office until his successor is appointed.

(4) The Chancellor shall be eligible for re-appointment.

(5) The Chancellor may, by giving six months notice in writing addressed to the Visitor, resign from office and a copy of the notice of the resignation shall also be simultaneously served on the Governing Board.

12. Vice-Chancellor—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons recommended by the Governing Board and if the Visitor does not accept the recommendations, he may invite fresh recommendations.

(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he/she enters upon his/her office, or until he/she attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he/she shall be eligible for re-appointment.

Provided that, notwithstanding the expiry of the said period of five years, he/she shall continue in office until his/her successor is appointed and enters upon his/her office.

Provided further that the Governing Board may direct any Vice-Chancellor after his/her term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified or till his/her successor is appointed and enters upon his/her office, whichever is earlier.

(3) The Vice Chancellor may, by giving six months notice in writing addressed to the Visitor, resign from the office and a copy of the notice of resignation shall also be simultaneously served on the Governing Board.

(4) The Vice-Chancellor shall be a full time salaried employee of the University.

(5) The age of retirement of the Vice-Chancellor shall be 70 years.

13. Powers of the Vice-Chancellor—The Vice-Chancellor shall,—

(a) have all such powers as may be necessary to ensure that the provisions of the Act, the Statutes, Ordinances and Regulations are duly observed;

(b) ensure smooth functioning of the University and be responsible for all the administrative, academic, financial and other functions of the University;

(c) have the power to constitute Committees, on such terms and conditions and with such powers and functions as he may deem fit and the notification of terms of reference of such Committees, as may be constituted, shall be placed in the subsequent meeting of the Governing Board for information;

(d) be entitled to be present at and to address any meeting of any Authority or Committee of the University but shall not be entitled to vote there at unless he is a member of such Authority or Committee;

(e) preside at the Convocations of the University or meetings of the Governing Board if the Chancellor is not present on such occasions;

(f) with the approval of the Governing Board, have the power to appoint employees, consultants, retainers and fix their remuneration, commensurate to the nature of services offered, to provide various kinds of services to the University as may be necessary for the development, operation and management of the University, subject to the terms and conditions of any Statute, Ordinances or Regulations, as may be applicable from time to time;

(g) with the approval of the Governing Board, have the power to create academic and non-academic posts and make appointments to such posts on contract basis (including on ad-hoc and temporary basis) varying from one year to three years subject to the terms and conditions of any Statutes, Ordinances or Regulations, as may be applicable from time to time;

(h) have the power to appoint an internal auditor to manage and oversee the audit functions of the University;

(i) ensure that every employee of the University is appointed under a written contract, one copy of which shall be filed with the University and the other shall be provided to the concerned employee;

(j) have the power to send members of the staff for training or for a course of instruction subject to such terms and conditions as may be laid down in the Ordinances from time to time;

(k) be responsible for maintenance of discipline in the University; shall have all powers relating to the proper maintenance of discipline in the University;

(l) have the power to enter into, modify or cancel contracts or agreements entered into by the University with any third party and all contracts for and on behalf of the University, except the one between the University and the Vice-Chancellor, shall be in writing and be expressed to be made in the name of the University, and every such contract shall be executed on behalf of the University by the Vice-Chancellor or any other Officer of the University authorized by the Governing Board;

(m) have the authority to sanction advertisements including advertisements in souvenirs, journals and magazines and the like;

(n) have the authority to enter into agreement with any Government or local authority to obtain from such Government or authority rights, concessions, allowances and privileges;

(o) have the authority to institute, conduct, defend, compromise, refer to arbitration or abandon any legal or other proceedings, claims and disputes by or against the University and appear or authorize to appear any solicitors, advocates and counsels in this regard and pay their remuneration or authorize any Officers of the University to appear before any legal authority, file necessary affidavits, petitions, replies and do any act, deed or thing or authorize to do any act, deed or thing that may be necessary or in order to give effect to the institution or defending of any legal suit or proceeding;

(p) have such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Act or the Statutes;

(q) have full authority to incur revenue expenditure in accordance with the Financial Regulations as may be laid down from time to time, subject to the budget provisions made for a specific purpose;

(r) have the authority to enter into, negotiate and sanction contracts and any capital expenditure and renegotiate such contracts and to do all such acts, deeds and things in the name of and on behalf of the University in relation to various matters concerning the University;

(s) have the power to, on the recommendation of the Finance Officer, re-appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a limit of Rs. 1,00,00,000/- (Rupees one crore) for each item, provided that such re-appropriation shall not involve any liability in future and each such re-appropriation shall, as soon as possible, be reported to the Finance Committee;

(t) be entitled to accept donations in kind or cash on behalf of the University as may be laid down by the Statutes, Regulations and Ordinances from time to time.

(u) have the power to convene meetings of the Governing Board and the Academic Council, and

(v) exercise such other powers as are accorded to it by the Governing Board in furtherance of proper functioning of the University.

14. Academic Staff.—The Vice-Chancellor, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Visiting Professors and such other persons as may be designated as such by the Statutes for imparting instructions in the University or for giving guidance or rendering assistance to students for pursuing any course of study of the University who may from time to time be recognized by the University authorities shall be the members of the academic staff.

15. Registrar(s).—(1) The University shall have such number of Registrar(s) as may be determined by the Governing Board.

(2) The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the University.

(3) The Registrar shall;

(a) be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Governing Board or any other Authority or Officer of the University shall commit to his charge;

(b) act as Secretary to the Standing Committee;

(c) provide secretarial functions to the Governing Board and perform such other duties and functions for any Authorities or Committees appointed by the Authorities of the University or both as prescribed from time to time, including issuance of notices for convening meetings of the Authorities of the University;

(d) conduct all official correspondence of the University—

16. Finance Officer.—(1) The Finance Officer shall have the power to,—

(a) exercise general supervision over the funds of the University and advise it as regards its financial policy;

(b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Finance Committee, the Vice-Chancellor or the Governing Board;

(2) Subject to the control of the Finance Committee, the Finance Officer shall,

(a) see that the limits for recurring and non-recurring expenditure for a year are not normally exceeded and that all moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted;

(b) be responsible for the preparation of annual accounts and ensure compliance with all the accounting standards and all applicable laws and regulations;

(c) ensure that all requests for payments or receipts received by him are in accordance with the prescribed financial norms and authorisation limits and laid down in the Financial Regulations or any administrative delegation made thereunder;

(d) ensure that all items procured by the University are duly entered into the stock register and a certificate to this effect is recorded on the bills or vouchers;

(e) ensure that all records on account of capital acquisitions and supplies or purchase are maintained properly;

(f) be responsible to verify all bills or vouchers;

(g) be responsible for the preparation of the Budget of the University for the next financial year and for its presentation to the Vice-Chancellor and the Finance Committee;

(h) have the authority to take cash insurance to secure the funds of the University;

(i) monitor the cash and bank balance, all financial transactions and the state of investments;

(j) monitor collection of revenue and render advice on the methods of collection employed;

(k) have the accounts of the University regularly audited in terms of the Act;

(l) monitor and enquire about unauthorized expenditure and suggest disciplinary proceedings against persons at fault;

(m) be responsible for establishing and maintaining the internal controls commensurate with the size of the University and for the internal audit function;

(n) circulate a copy of the audited annual accounts in accordance with the provisions of section 32 of the Act;

(o) keep updated records of all information that he may consider necessary to discharge his financial responsibilities and ensure at the end of every month that all financial transactions including bank charges and commissions reconcile or match with the information submitted by the banks;

17. Financial assistance by Member States.—(1) All financial contributions made by the Member States, for the University, shall be sent either electronically to the designated bank account of the University, or in the form of a cheque or a bank draft in the name of "Nalanda University" with intimation to the Vice-Chancellor of the University.

(2) The Finance Officer shall maintain records of the financial contributions made by the Member States and at the end of each financial year, the Registrar shall calculate the total financial contribution made by each of the Members States in the said financial year and such records shall be placed in the meeting of the Governing Board and included in the annual report of the University.

18. Procedure of nomination by Member States to Governing Board.—(1) The representation of the Member States on the subsequent constitution of the Governing Board shall be determined according to the financial contributions made from the Member States and the top five contributing Member States, during the period ending first closing date, shall nominate a member each to the Governing Board.

(2) Thereafter, five Member States that provide the highest financial contribution to the University during the next period of three years shall nominate a member each to the next Governing Board. Such nominees shall be chosen by the Governments of the concerned Member States.

IndiaCode

(3) For the purpose of calculation of the total financial contribution made by a Member State, only monetary financial contributions made in accordance with the Statutes shall be taken into account.

19. Gifts to the University.—(1) The Vice-Chancellor shall set priorities for fund raising, and to review and set administrative policies and procedures concerning Gifts to the University.

(2) The University shall promote the solicitation, acceptance and stewardship of Gifts to secure resources that shall enable the University to further advance its priorities and commitment to excellence in teaching, learning and research.

(3) The University shall not accept any Gift that precludes the University from accepting Gifts from other Donors and the University shall not accept Gifts that violate any applicable law or regulation and reserves the right to reject any Gift.

(4) The act of giving a Gift to the University shall be irrevocable whilst the Gift and the Gift Purpose shall be subject to the University's prevailing policies and procedures.

(5) In recognition of a Gift made by a Donor, the University may offer the Donor a naming opportunity within the University and the Vice-Chancellor may from time to time to set the minimum Gift level for naming opportunities which may be offered.

(6) If a Donor who has been offered a naming opportunity by the University falls into disrepute, the University reserves the right to discontinue the use of the relevant name.

(7) All Gift-related naming opportunities shall be approved by the Vice-Chancellor and in the case of a Gift-related naming of a School, Department, Faculty, Chair or any infrastructure, such naming shall be approved by the Governing Board upon the recommendation of the Vice-Chancellor.

(8) All Gifts shall be used in accordance with the Gift Purpose and all information pertaining to a Donor and his Gift shall be handled with respect and given confidential treatment to the fullest extent available in law.

(9) The University shall appropriately acknowledge and recognize Donors and their Gifts according to such criteria as may be stipulated in the Statutes.

(10) The Vice-Chancellor shall have the sole right to invest the Gifts in accordance with guidelines approved by the Governing Board.

(11) The University may charge all reasonable costs and expenses incurred in administering a Gift or a Gift Purpose to the relevant underlying fund.

(12) The Vice-Chancellor shall, in consultation with the Donor, have the power to make changes to a Gift Purpose, which has in whole or in part ceased to provide a suitable or effective way of using the relevant Gift and the University shall endeavour to use the Gift for such purposes as nearly as possible akin to the original Gift Purpose.

20. Protection to members of the Authorities, Officers and employees of the University.—The members of the Authorities, Officers and employees of the University for the time being acting in relation to any of the affairs of the University, their executors and administrators shall be indemnified out of the assets and funds of the University from or against all suits, proceedings, costs, charges, losses, damages and expenses which they or any of them shall or may incur or sustain by reason of any act done or committed in or about the execution of their duties in their respective offices except those done through their wilful neglect or default and any such members of the Authorities, Officers and employees shall not be answerable for acts, omissions, neglect or default of any other members of the Authorities, Officers or employees.

21. Notices.—Unless otherwise provided in the Act Statutes, or Regulations, whenever notice is required to be given under any Statute or Regulations, it may be given in writing and delivered personally or sent by prepaid mail, commercial message delivery service, electronic mail, or electronic facsimile transmission to the intended recipient at his or her address, electronic mail address, or electronic facsimile number as shown in the records of the University and, if sent by prepaid mail to an address in India or to an address outside India, such notice shall be deemed to have been given on the day following that on which the notice was deposited with postage prepaid in the Indian Post and if notice is sent by a commercial message delivery service, such notice shall be deemed to have been given, on the day it is so sent and notice given electronically shall be deemed delivered when transmitted electronically to the intended recipient's electronic mail address or facsimile number, provided no transmission error message is generated by the transmitting device.

JITENDRA NATH MISRA
Jt. Secy. (Nalanda)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012